

27/5/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित। पूर्व पेशी पर बहस सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओं पर पत्रावली का अवलोकन किया :-

1. प्रथम दृष्टतया मामला :- राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि सामलाती है। जितना अधिकार प्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक भूमि पर है उतना ही अप्रार्थीगण का अपने हक हिस्से तक की भूमि पर है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनों के पक्ष में सिद्ध होता है।
2. सुविधा का संतुलन :- प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा प्रार्थी प्राप्त कर सकता है वही सुविधा अप्रार्थीगण भी प्राप्त करने के हकदार है। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है।
3. अपूरणीय क्षति :- प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्ध करना है परन्तु राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन से यह सिद्ध होता है उक्त खसरा सामलाती है जो विवादित है। भूमि का बिना बंटवाडा विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड एवं मौके में परिवर्तन होता है तो इसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनों को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त तीन मूलभूत बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा ग्राम कनोडिया पुरोहितान पटवार हल्का कनोडिया पुरोहितान तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 538 की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ़्तर हो।

उपस्थित अधिकारी,
जालेसर